

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
देवा पुत्र नाथू जाति गुर्जर
सा. इण्डाली तह. नावां

बमुकाम : नावां जिला नागौर राजस्थान
मांगीलाल पुत्र लादूराम जाति गुर्जर वगै.
सा. इण्डाली तह. नावां

किस्म मुकदमा : 88,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 36/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुआ
10.02.2023	<p>वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सेवर ने यह वाद पत्र पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 14.03.2023 को पेश हो।</p> <p>14/3/23 पत्रावली पेश हुई। बटाल बाट अध्यक्ष के द्वारा आज कार्य का स्थगन रखा है। पत्रावली दिनांक 20/4/23 को पेश हो।</p> <p>20/4/23 पत्रावली पेश हुई। बकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 13/6/23 को पेश हो।</p> <p>13/6/23 पत्रावली पेश हुई। बकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 28/6/23 को पेश हो।</p> <p>28/6/23 पत्रावली अदालत 'प्रशासन गांवों के संग अभियान 202' केम कोर्ट ग्राम पंचायत भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र... में आज पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी हाजीर/गैर हाजीर। पक्षकारान् के माध्य राजीनामा नहीं हुआ। पत्रावली पुनः न्यायालय में दिनांक 20/9/23 को पेश हो।</p> <p>20/9/23 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी व वादी स्वयं की बार-बार शिकायत किताई गई जिले वावजूद भी अनुपस्थित रहे हैं। अतः वादी का वाद-पत्र अरम शर्त व अरम पैली में खारिज किया जाता है। पत्रावली अंतिम शुमार होकर नम्बर से कम हो व हाजिर रूपत हो।</p>	<p>(अशुल सिंह) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p>

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डिंडवाना-कुआसन)

